

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
श्री पंकज दलाल
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया,
लिमिटेड उप्पलवाड़ी नागपुर 440026

विषय:—सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी पाने बावत्।

महोदय,

ग्राम तागा प0ह0न0 18 तहसील— अकलतरा जिला—जांजगीर—चाम्पा छ0ग0 स्थित पावर ग्रिड तागा में पदस्थ जे0ई0 विकास साव एवं उप-प्रबंधक भूषण टोकेकर जिनके देखरेख जानकारी में पूर्व भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010-11 एवं पूरक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ 82 /2013-14 के अन्तर्गत पावर ग्रिड के लिए भू-अर्जन हुआ है उक्त दोनो अधिकारियों की देखरेख जानकारी में या भागीदारी में भू-अर्जन में किसी प्रकार की भूमि एवं राशि का गबन नहीं हुआ हो तो भी अथवा गबन हुआ हो तो भी निम्न दस्तावेज की प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्रदान करें :-

1. पूर्व भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010-11 के अन्तर्गत पावर ग्रिड तागा के लिए अर्जित आवार्ड भूमि कि प्रमाणित नक्शा एवं दस्तावेज की प्रति राजस्व विभाग जांजगीर से पावर ग्रिड तागा को भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010-11 के अन्तर्गत प्राप्त है। पावर ग्रिड तागा को प्राप्त नक्शा एवं दस्तावेज में से सिर्फ नक्शा की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।
2. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही कर 06.12.2014 को खसरा नम्बर 64/2 क में से 2.72 एकड़ भूमि एवं 1.88 एकड़ भूमि का पावर ग्रिड कम्पनी तागा को तहसीलदार अकलतरा राजस्व निरीक्षक अकलतरा एवं हल्का पटवारी द्वारा सहस्ताक्षर कब्जा प्रमाण दिया गया है उस कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।
3. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के पत्र में पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंधक पदमाकर पाठक द्वारा संलग्न पत्र में उल्लेखित 02 अन्य खसरा 64/2 ज एवं 64/2 स कुल रकबा 2.00 एकड़ भूमि को संलग्न पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से स्थल पर माप क्षेत्रफल से चिन्हांकित कर पावर ग्रिड कम्पनी को दी गई कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।

संलग्न :-

1. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के पत्र एवं नक्शा की छायाप्रति।
2. 10/- का पोस्टल आर्डर क्रमांक 47 F 551142 कि मूल प्रति।

दिनांक :-

स्थान :-07.08.2020

बलभद्र प्रसाद कश्यप
आवेदक

बलभद्र प्रसाद कश्यप
आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मी प्रसाद कश्यप
मु/पोस्ट—तागा तहसील अकलतरा
जिला—जांजगीर—चाम्पा छ0ग0
मो न 9827962191

श्रीमती दिव्या
अध्यत कार्यवाही हेतु
07/08/2020

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
श्री पंकज दलाल
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया,
लिमिटेड उप्पलवाड़ी नागपुर 440026

विषय:—सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी पाने बावत्।

महोदय,

ग्राम तागा प0ह0न0 18 तहसील— अकलतरा जिला—जांजगीर—चाम्पा छ0ग0 स्थित पावर ग्रिड तागा में पदस्थ जे0ई0 विकास साव एवं उप—प्रबंधक भूषण टोकेकर जिनके देखरेख जानकारी में पूर्व भू—अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010—11 एवं पूरक भू—अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ 82 /2013—14 के अन्तर्गत पावर ग्रिड के लिए भू—अर्जन हुआ है उक्त दोनो अधिकारियों की दंखरेख जानकारी में या भागीदारी में भू—अर्जन में किसी प्रकार की भूमि एवं राशि का गबन नहीं हुआ हो तो भी अथवा गबन हुआ हो तो भी निम्न दस्तावेज की प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्रदान करें :-

1. पूर्व भू—अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010—11 के अन्तर्गत पावर ग्रिड तागा के लिए अर्जित आवाड़ भूमि कि प्रमाणित नक्शा एवं दस्तावेज की प्रति राजस्व विभाग जांजगीर से पावर ग्रिड तागा को भू—अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2010—11 के अन्तर्गत प्राप्त है। पावर ग्रिड तागा को प्राप्त नक्शा एवं दस्तावेज में से सिर्फ नक्शा की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।
2. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही कर 06.12.2014 को खसरा नम्बर 64/2 क में से 2.72 एकड़ भूमि एवं 1.88 एकड़ भूमि का पावर ग्रिड कम्पनी तागा को तहसीलदार अकलतरा राजस्व निरीक्षक अकलतरा एवं हल्का पटवारी द्वारा सहस्ताक्षर कब्जा प्रमाण दिया गया है उस कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।
3. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के पत्र में पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंधक पदमाकर पाठक द्वारा संलग्न पत्र में उल्लेखित 02 अन्य खसरा 64/2 ज एवं 64/2 स कुल रकबा 2.00 एकड़ भूमि को संलग्न पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से स्थल पर माप क्षेत्रफल से चिन्हांकित कर पावर ग्रिड कम्पनी को दी गई कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति में जनसूचना अधिकारी जी अपना सील एव मोहर लगाकर प्रति प्रदान करें।

संलग्न :-

1. संलग्न पावर ग्रिड के पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 01.03.2014 के पत्र एवं नक्शा की छायाप्रति।
2. 10/- का पोस्टल आर्डर क्रमांक 47 F 551142 कि मूल प्रति।

दिनांक :-

स्थान :-07.08.2020

आवेदक
बलभद्र प्रसाद कश्यप
आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मी प्रसाद कश्यप
मु/पोस्ट—तागा तहसील अकलतरा
जिला—जांजगीर—चाम्पा छ0ग0
मो न 9827962191


पृष्ठ 2 (अ) पृष्ठ 1

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड



765/400 के.व्ही.संयोजनकेंद्र एवं ±800 के.व्ही. एच.व्ही.डी.सी. टर्मिनल, ग्राम:तागा, तह-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
765/400 kV Pooling Station & ±800 kV HVDC Terminal, Vill-Taga, Tah-Akaltara, Distt.: Janjgir-Champa(C.G.)
Site Office: A-2, Shivram Colony, Main Akaltara Road, NH-200, Janjgir, Distt.: Janjgir-Champa (C.G.)-495668

Ref: WNR IC/चांपा/भू-अर्जन/2349

WR/NR INTERCONNECTOR HVDC PROJECT (WR-1)

प्रति,

जिलाधिकारी

जांजगीर - चांपा (छ.ग.)

विषय: पावरग्रिड भू-अर्जन ग्राम तागा के निजी भूमि खसरा नं 64/2क के संबंध में।



महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि ग्राम तागा, तहसील अकलतरा के अंतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा 800 के.व्ही. HVDC टर्मिनल एवं 765/400 के.व्ही. संयोजन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पावरग्रिड को ग्राम तागा की कुल 82.36 एकड़ निजी भूमि अवाई की जा चुकी है (संलग्न अनेक्सर -ए)। इस अधिग्रहित भूमि में संलग्न अवाई की कापी अनुसार, खसरा क्र. 64/2क की 2.72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें से कि संबन्धित भूमि स्वामी श्री बलभद्र कश्यप आ. लक्ष्मी प्रसाद कश्यप द्वारा बताया गया है कि उनकी लगभग 2 एकड़ अधिक भूमि कृषक के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पावरग्रिड की सीमा में आ रही है जिसे उन्होंने पूरक भू अर्जन प्रस्ताव के अंतर्गत लेने हेतु आवेदन किया गया है (आवेदन की प्रति संलग्न अनेक्सर -बी)। इस भूमि से जुड़े हुए दो अन्य खसरा क्र. 64/2ज एवं 64/2स कुल रकबा 2 एकड़ की भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार पावरग्रिड सीमा में आ रही है जो कि भौतिक रूप से स्थल पर चिन्हित नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में आपको ज्ञात हो कि उक्त भूमि एवं उसके आसपास की भूमि का पावरग्रिड द्वारा मौके से नाप किया गया है जिसमें सीमा लाईन के भीतर की भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.00 एकड़ (255.5 मी x 111.5 मी = 28488.25 वर्गमी) पाया गया। जबकि पूर्व भू-अर्जन में अवाई की गयी भूमि और पूरक भू-अर्जन में ली गयी भूमि का रकबा भी लगभग 7.00 एकड़ हो रहा है। (इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी हेतु नृक्षशा संलग्न है।)

चूंकि मामला विवादास्पद है, अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुये आपसे सादर निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का निदान कर शासकीय कार्य में होने वाली रुकावट को दूर करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार




(पद्माकर पाठक)
मुख्य प्रबन्धक चांपा

प्रतिलिपि: अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जांजगीर - चांपा (छ.ग.) को आवश्यक सहयोग एवं सूचनार्थ

o/c

पृष्ठ 2 (अ) पृष्ठ (2)



* पत्तार नुस के वाडकी वार के अन्तर्गत आता है

